IN THE COURT OF Spl. Judge. Excise Court No.-II, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0.581 of 2026

Arbind Tiwari S/o Laxman Tiwari R/o Vill.-Ojhawaliya, P.S.-Kochas, Distt.-Rohtas(Sasaram) -----------Petitioner.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Kuchila P.S. Case No. 02 of 2025)

04.05.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन आवेदक **अरविन्द तिवारी** की ओर से दाखिल किया गया है, जो **कुछिला थाना काण्ड** सं0–02/2025 ***धारा 30(a) बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022*** के अपराध में अपनी गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के विन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाकर कुमार दूबे एवं सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री निशीकांत निलेश को सुना तथा पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक बिल्कूल निर्दोष है, उसने कथित कोई अपराध नहीं किया है। उसे इस मामले में जप्त मोटरसाईकिल का स्वामित्व परिवहन कार्यालय में दर्ज रहने के आधार पर फंसाया गया है। जबकि आवेदक ने अपनी उक्त मोटरसाईकिल को इस केस की घटना से काफी पहले हीं दिनांक 23.05.2023 को ग्राम–ओझवलिया के अभिनन्दन यादव को विक्री कर हस्तगत कर दिया गया था। इनका कथन है कि आवेदक कभी भी शराब के खरीद–विक्री व व्यवसाय में लिप्त नहीं रहा है और न हीं उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास हीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। उसके निर्दोष होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है। अतः उसे अग्रिम जमानत का अनुतोष दिया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा केस डायरी की विभिन्न कण्डिकाओं का उल्लेख करते हुए आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत का घोर विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभिकथन है कि घटना तिथि को गुप्त सूचना मिलने पर कि कुछ व्यक्ति शराब लेकर कोचस की ओर जा रहे हैं, कुछिला पुलिस के द्वारा घटना स्थल पर दो मोटरसाईकिल पर सवार कुल तीन व्यक्तियों को पुलिस को देखकर तेजी से भागने के क्रम में खदेड़कर पकड़ा गया, जिन्होने पूछने पर अपना नाम मोहित कुमार, राकेश चौहान एवं नितीश कुमार बताया, जिनकी एवं मोटरसाईकिल की बारी–बारी से विधिवत तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से Redico 8PM Special Blend of Scotch Indian grain Whisky का 194 पीस तथा Royal Stake Superior Whisky 375ml का 41 पीस, कुल मात्रा 50.295 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया।

केस डायरी में दर्ज साक्षियों ने अपने–अपने बयान में अभियोजन कथित घटना एवं मौके

IN THE COURT OF Spl. Judge. Excise Court No.-II, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0.581 of 2026

Arbind Tiwari S/o Laxman Tiwari R/o Vill.-Ojhawaliya, P.S.-Kochas, Distt.-Rohtas(Sasaram) -----------Petitioner.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Kuchila P.S. Case No. 02 of 2025)

लगातार/ 04.05.2026 से गिरफ्तार तीनों प्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा अपने शरीर एवं जप्त दोनों मोटरसाईकिल में छूपाकर व्यवसायिक मात्रा में कुल 50.295 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब लेकर परिवहन करते कुछिला पुलिस के द्वारा पकड़े जाने की घटना का पूर्ण समर्थन किया है। जहॉ तक बहस के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन कि आवेदक के द्वारा घटना के पूर्व हीं जप्त उपरोक्त मोटसाईकिल को ग्राम ओझवलिया के अभिनन्दन यादव को विक्री कर दिया था, यह तथ्य अभी अनुसंधान के अधीन है। केस डायरी की कण्डिका–36 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक इस मामले की जप्त पल्सर मोटरसाईकिल रजि0नं0 BR24AK 3295 Chesis No. MD2B64BX6PPK36415 Engine No. DHXPPJ 74013 का पंजिकृत स्वामी है और वर्तमान में उसका नाम परिवहन कार्यालय पंजी में उपरोक्त मोटरसाईकिल के स्वामी के रूप में दर्ज है। मामला अभी अनुसंधान के अधीन है। वहीं *बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 76(2) अग्रिम जमानत को निषिद्ध करती है।*

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियो को देखते हुए आवेदक अभियुक्त ***अश्वनी कुमार*** *की ओर से इस मामले में दाखिल प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण* ***अस्वीकृत*** *किया जाता है।* *(लेखापित)*

ह0/–बिपिन बिहारी राय

वि0न्या0उत्पाद–II

(बिपिन बिहारी राय)